संख्या-06/2016/5096/26-3-2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 18 जनवरी, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1300/1-2015/स0क0/विकास/रा0आ0प0वि0/314/2015-16 दिनांक-20.11.2015 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2225-01-789-12-00 के अन्तर्गत मानक मद 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0-140000 हजार (रू0 चैदह करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-14/दस-2015, दिनांक-14 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-06/2016/5096/(1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

4- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2

5- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)
प्रपत्र बी0एम0–9

अनुदान संख्या–83– आयोजनागत, समाज कल्याण
वित्तीय वर्ष 2015–16

(रू0 हजार में)

लेखाशीर्षक–15डिजिटलकोड में आयोजनागत	निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण: आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक–15 डिजिट में आयोजनेतर	निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण: वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225–01–789–00–12 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 00– 12–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय											
01–वेतन	41148	31800	30000	30000	11148						
03–महंगाई भत्ता	49378	39200	35000	35000	14378						
06–अन्य भत्ता	7700	6000	5000	5000	2700						
41–पोषण व्यय	450000	50000	50000	50000	400000						
2225–01–789–06–00–21 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 06–अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता (जिला योजना) 21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	10000	10000	10000	10000	0						
2225–01–789–07–00–20 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 07–अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता 00– 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैरवेतन)	10000	10000	10000	10000	0	2225–01–789–00–12 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 00– 12–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 16–आवश्यक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	179400	318400	140000	140000	318400
योग–	558226	147000	140000	140000	428226		179400	318400	140000	140000	318400

1–क्रमांक–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–
क–आवश्यकता के अनुसार बचत है।
क्रमांक–6 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष क्रमांक–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है–
क–मानक मद में राज्य सरकार की प्रथमबद्ध देयता के सापेक्ष कम बजट प्राविधान/धनराशि रूप पड़ने के कारण उक्त धनराशि की आवश्यकता है।
3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आ0ए0–263/ई–3–14/दस–2015 दिनांक 16 जनवरी 2016

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

संख्या– 5096 (1)/26–3–2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, समाजस कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2–निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3–वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त (व्यय –नियंत्रण) अनुभाग–3
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7– बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

Praroop

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।